बिहार सरकार

<u>**सहकारिता विभाग**</u>

।। कार्यालय आदेश ।।

सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, बिहार, पटना के पत्रांक–132 दिनांक–04.12.2025 के द्वारा श्री संतोष कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरूद्ध बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना के पदस्थापन काल में महिला कर्मियों के साथ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना, कार्यालय में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, बिना अनुमति के कार्यालय अवधि में कार्यालय से प्रस्थान करना, पत्र प्राप्त करने से इन्कार कर अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करना, अपने पदीय दायित्वों के इतर जाकर कार्यालय प्रधान के कार्यों एवं दायित्वों पर अमर्यादित टिप्पणी करना एवं अवांछित मांग करना, जानकारी का अप्राधिकृत संसूचना, कार्यालय में प्रस्तुत विभिन्न पत्रों में नियंत्री पदाधिकारी/उच्चाधिकारी के संबंध में अवांछित एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना, अपने सहकर्मियों एवं उच्चाधिकारियों के साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना एवं अपने उग्र आचरण से कार्यालय कार्य को बाधित करने के आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को प्रेषित किया गया। तत्संबंधी आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17(3) के तहत श्री संतोष कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–653 दिनांक–31.01.2026 द्वारा आरोप पत्र मे उल्लिखित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछा गया।

उक्त के संबंध में श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि श्री संतोष कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जायेगी।

उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्रीमती स्मृति कुमारी, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रविकान्त कुमार, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

एतद संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प संख्या–3570, दिनांक–01.07.2026 को निरस्त किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि कार्यालय आदेश एवं आरोप पत्र की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्रीमती स्मृति कुमारी, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/ श्री रविकान्त कुमार, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री संतोष कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(कुमारी आरती)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 4160 / पटना, दिनांक : 27/07/26

8/नि०को०(रा०)विभागीय–746/2025

प्रतिलिपि :– 1. श्रीमती स्मृति कुमारी, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री रविकान्त कुमार, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री संतोष कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना को उनके पत्रांक–132 दिनांक–04.12.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. आई० टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

27/07/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

F:\section-8\2025\Ved prakash\Sankalp-santosh kumar-LDC.doc